e-ISSN:2582-7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 7, Issue 3, March 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.521

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 3, March 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0703011 |

मध्यकालीन राजपूताने में मालगुजारी तथा लगान के प्रकार: ऐतिहासिक दृष्टि

नवनीत स्वरूप

असि.प्रोफेसर, इतिहास, मां भारती पी.जी. महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान

सारांश

प्राचीनकाल से राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर रहा है। भूमि से प्राप्त उपज का कुछ भाग राजा का होता था जिसके बदले राजा व उसकी सेना राज्य की प्रजा की रक्षा करती थी। राजस्थान में मध्यकाल में राजस्व के लिए भूमिकर प्रमुख था जो मालगुजारी से प्राप्त होती थी, प्राप्त कर राजकोश तक पहुचाने का कार्य जागीरदारों या सामन्तों का होता था। राजस्थान में मध्यकाल में विभिन्न प्रकार की लगान वसूली जाती थी। जिसमें नरेशों के मुख्य सहायक के रूप में चैधरी, ठाकूरों तथा जागीरदारों का मुख्य स्थान था। जिन्हें राजा के द्वारा भूमि पर कब्जा मिलता था और यह वंशानुगत परम्परापर आधारित होता था। ये जागीरदार समय समय पर गांव से मालगुजारी वसूल कर राजा को जमा कराया करते थे जिसे खिराज कहा जाता था। जागीरदार गांवों में मनमाने ढ़ंग से लागबाग भी लगाया करते थे अनिश्चित और स्थायी होती थी। भूमि के विभिन्न प्रकार राजपूताने में प्रचलित थे यथा खालसा, जागीर तथा वापी। मालगुजारी में बटाई व बिघोडी प्रमुख थे जिनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत शोध-प्रत्र में किया गया है।

बीज शब्द - मालगुजारी (लगान), बिघोडी (एक बिघा का अधा), खिराज (जागीरदारो द्वारा राजा को चुकायी जाने वाली रकम), वापी (भूमि के पट्टे के एक प्रकार), खालसा (सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि या गांव)

प्रस्तावना

राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है। इस भाग पर अधिकतर राजपूत राजाओं का शासन था अतः इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना नाम अंग्रेजी शासन काल में पडा इस नाम का प्रथम बार प्रयोग वि.सं. 1857 या 1800 ई. में मिस्टर जार्ज थामस ने किया। यद्यपि यहां राजपुतों की संख्या अन्य जाति से कम थी परन्तु राजपुतों के अधिक प्रभावशाली होने के कारण इस क्षेत्र का नाम राजपूताना पड़ा।

कर्नल जेम्सटाॅड ने 1829 में इस क्षेत्र के लिए 'राजस्थान' शब्द का प्रथम बार प्रयोग अपनी पुस्तक एनल्स एण्ड एण्टिक्विटिज आॅफ राजस्थान में किया। इस से पहले कही भी इस शब्द का प्रयोेग राजपूताना के लिए देखा नही गया। इस प्रांत में 21 रियासतें, 2 खुदमुख्तिया (जागीर) तथा बीचो-बीच अंग्रेजी हुकुमत का हिस्सा अजमेर था जिसे मेरवाडा के नाम से भी जाना जाता था। यहां टोंक मुसलमानों के अधिकार में था, कछवाहों का लावा नामक ठिकाना था जो टोंक से स्वतंत्र ठिकाना था इसी प्रकार बांसवाड़ा से स्वतंत्र राठौड़ों का स्वतंत्र ठिकाना लावा था।

चीनी यात्री हुएनसांन भारत भ्रमण करते हुए राजस्थान आया उसने राजस्थान को चार भागों में विभक्त कर उल्लेख किया जिसमें उसने प्रथम गुर्जर (जोधपुर, बीकानेर तथा शेखावटी), दुसरा वाधारी/वागड़ (जिसमें दक्षिणी राजस्थान) , तीसरा बैराठ का क्षेत्र (जयपुर, अलवर तथा टोंक) तथा चोथा मथुरा जिसमें भरतपुर, करौली, दौसा का क्षेत्र था। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यहां राजपूतों के कहीं शक्तिशाली वंश हुऐ जैसे चाहमान, पडिहार(प्रतिहार), भाटी तथा परमार व कच्छवाह इत्यादी।

राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला तथा कम उपजाऊ इसके केवल पूर्वी भाग में ही काली व उपजाऊ भूमि है। अरवाली के पूर्व में एक फसल खरीफ की होती है तथा रबी की फसल की के लिए सिंचाइ व्यवस्था नहरों, कुओं तथा तलाबों आदी से की जाती है।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 3, March 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0703011 |

मुख्य सार

मालगुजारी व भूमि के अधिकार -

राजस्थान में भूमि कि विभिन्न श्रेणियां थी जैसे खालसा, जागीर, जूना जागीर, ईनाम, माफी, सासण या धर्मादा आदि। ख्.ाालसा के अतिरिक्त सभी भूमियां जागीरदारी प्रथा के अन्तर्गत मानी जाती थी। मुख्यरूप से देखा जाए तो भूमि के दो ही भाग थे एक तो खालसा तथा दूसरा जागीर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नवीन राजस्थान प्रांत का निर्माण हुआ तब राजस्थान में 16573 गांव खालसा के तथा 18075 गांव जागीर के थे।

खालसा - खालसा भूमि वह है जिस पर राज्य का सीधा नियंत्रण या अधिकार होता था।

जागीर - यह भमि दरबार से दी हुई उन लोग के अधिकार में होती थी जो राज्य को समय पर मालगुजारी तथा लगान देते थे। खालसा तथा जागीर दोनों ही भूमि पर अधिकार को शासक का ही होता था जागीरदार को केवल कब्जा व पैदावार पर ही अधिकार मिलता था। जागीरो की जागीरदारी वंश परम्परा के अनुसार थी जब तक वंश में कोई ना कोई होता था तब तक किसी जागीर को जब्त नहीं किया जा सकता था। परन्तु कोई संगीन अपराध या राजद्रोह का अपराधी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जागीर जब्त कि जा सकती थी। जागीरदार के मरने के बाद नये जागीरदार को नजराना या उत्तराधिकारी फीस (हुक्मराना) देकर नया पट्टा कराना होता था। जागीर की मालगुजारी जागीरदार ही लेता था। वह राज्य को केवल निर्धारित खिराज दिया करता था। ईनाम, माफी एवं सासण भूमि प्राप्त लोगों को कोई लगान नही देना होता था। पसायतदार को भूमि भोगने के बदले में राज्य, गांव की जनसेवा करनी होती थी। ब्रिटीश हुकूमत के पूर्व जागीरदारों को खूब चलती थी । शासक उनको राज काज में उन्हे अपना मुख्य सहायक मानकर चलता था। राज्य का अधिकांश राजकाज उनके अधिन होता था।

जागीरदार राज्य व काश्तकार के बीच एक कड़ी के रूप होता था, नरेश एक निश्चित रकम के एवज में जागीरदारों को भूमि प्रदान करता था। यह रकम जागीरदारों के द्वारा काश्तगारों से लगान के रूप में वसूल कर राज्य को दी जाती थी इस रकम की राशि कई वर्षाेंं तक परिवर्तित नहीं होती थी, परन्तु जागीरदार काश्तकार से मनमाना लगान वसूल करता था और अपने निजी काम में लेता रहता था। राज्य को दिये जाने वाले खिराज(रकम) से उस वसूलि का कोई सम्बंध नही था। जागीरदार काश्तकार से उपज का आधा हिस्सा से आठवां हिस्सा तक वसूल करते थे, अधिकांश जागीरदार उपज का आधा हिस्सा ही लेते थे। खालसा गांवों में इसके विपरीत उपज के 5वां से 8वां हिस्सा या प्रतिशत ही लगान के रूप में लिया जाता था। काश्तकार से लगान के अलावा लागबाग भी ली जाती थी। ये लागबागें इतनी थी की कृषक देते देते तंग आ जाते थे, ये न केवल जागीरों में अपितु खालसा भूमि पर भी ली जाती थी। लागे व लगान वसूली के लिए काश्तकारों को अनैतिक ढ़ंग से परेशान किया जाता था जो काश्तकार जागीरदारों से बनाकर नहीं रखते थे उन्हें गांव तक छोड़ने पड जाते थे। उन्हे उनके खेतों कुओं से बेदखल कर दिया जाता था।

युद्ध या राज्य में विद्रोह के समय जागीरदार को मुख्य सेनापति के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता था। इस कारण ही जागीरदार बहुत शक्तिशाली हो गये। उन्होनें राजाओं को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया, राजाओं का अंग्रेजों से सहायक संधि करने का कारण यह भी रहा। और इसी कारण 1818 की सहायक संधियों के बाद ही जागीरदारों की शक्ति क्षीण होने लगी। संधियों के अनुसार अग्रंजी कंपनी ने राज्यों से सहायक संधि कर रियासतों या राज्यों की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा की जिम्मेदारी अपने उपर ली तथा आंतरिक विद्रोह होने पर सहायता प्रदान करने का वचन दिया। राजा की निःसन्तान मृत्यु होने पर राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा इसका निर्णय करने का अधिकार भी अब कम्पनी के हाथ में आ गया। ऐसी दशा में अब जागीदारों दशा व शक्ति में गिरावट आ गई वे अब राज्यों की शोभा मात्र बनकर रह गये या अब उनका प्रभाव अब गांवों या जागीरों तक ही सीमित रह गया।

वपी पट्टे खालसा या जागीरदारी भूमि में किसानों को वापी पट्टे दिये जाते थे जिससे वह भूमि पर वंश परम्परा तक अपना अधिकार रख सकते थे। यह अधिकार 20 वर्षों तक जब तक वह एक बन्दोबस्त से दूसरे बन्दोबस्त में नही जाते तब तक रह सकता था। यदि कोई किसान अपनी वापी भूमि को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चला जाता है तो पांच वर्षों तक उस भूमि पर उसका अधिकार कायम रहता था तथा उसके वापस लौटने पर उस भूमि पर उसका अधिकार ही रहता था, और उन पांच वर्षों का लगान भी उससे वसूल नहीं किया जाता था परन्तु अगर वह पांच वर्षों बाद भी वह नहीं लौटता तो उस भूमि पर राज्य का स्वतः ही अधिकार हो जाता था। वापी भूमि ब्राम्हणों, चाराणों, राजपूतों तथा ब्रम्हभटों को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं था। वह इसे किसानों को ही हस्तांतरित कर सकता था।

इन किसानों से मालगुजारी बटाई एवं बीघोडी के रूप में ली जाती थी। बटाई का अर्थ है उपज को बांट कर राज्य द्वारा हिस्सा लेने तथा बीघोड़ी का अर्थ है बीघा जमीन पर नकद रूप में लगान वसूलना।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 3, March 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0703011 |

रियासतों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की लाग-बाग एवं उनके प्रकार -

राज्यों के अलावा जागीरों की मुख्य आय का स्त्रोत मालगुजारी हुआ करती थी, यह काश्तकारों से उपज के पांचवे हिस्से से लेकर आधे हिस्से (पांच प्रतिशत से पचास प्रतिशत) तक मनमाने ढ़ंग से वसूल कि जाती थी।

लाग-बाग - यह एक अनिश्चित एवं अस्थायी कर होता था जो अपनी प्रजा पर विशेष परिस्थियों में या प्रजा द्वारा विषम परिस्थितियों में प्रजा ने स्वयं देना स्वीकार किया था। इनमें से कुछ को जनता ने अपने राज्य को या अपने जागीरदारों उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या शिष्टाचार के नाते स्वयं दिया परन्तु जागीरदारों ने इन्हें कालान्तर में स्थायी करके निरन्तर वसूल करना प्रारम्भ कर दिया। लाग बागें सभी गांवों में एक समान नहीं होती थी किसी गांव में कोई तथा अन्य गांव में कोई और प्रकार की लागबाग प्रचलित थी। इन लागबागों को लगाने के विभिन्न तरिके होते थे जिनमें से एक का उल्लेख जगदीश सिंह जी गहलोत ने अपनी पुस्तक में लागबाग से संबधित एक सुन्दर व मनोरंजक दृश्य का उल्लेख किया है जिसका उल्लेख यहां करना रोचक ही होगा- एक मनोरंजक उदारण है कि एक जागीरदार अपनी घोड़ी को गांव के चारों ओर दौड़ा रहा था की अचानक दौडते हुए जागीरदार की घोडी गांव में पड़ी एक चट्टान पर बने चबूतरे से टकराकर गिर पड़ी और जागीरदार भी चोटील घायल अवस्था में पड़े हुए कराहने लगे तथा घोड़ी वहीं मर गई घायल अवस्था में आह निकल ही आती है तो गांव के लोगों को लगा ठाकुर साहब को अपनी घोड़ी के मरने का भारी शोक लगा है घायल ठाकुर की आवज सुनकर दौड पड़े और ठाकुर सतझाने लगे की ठाकूर सा. इतना शोक क्यू करते हो घोड़ी ही तो मरी है ना आप घोड़ी और ले लेना, प्रतित्युत्तर में ठाकूर सा. ने कहा इतने पैसे कहा है, तो जोश में आकर गांव के व्यापारी व लोगों ने "राजभक्ति" दिखाते हुए 500 रू चन्दा एकत्र कर घोड़ी खरीदी गई और ठाकूर को दी गई की लगान भरते समय ठाकूर उनके पेसे भर देगा। परन्तु लगान के समय ठाकुर का जवाब था -- "कि तुम्हारे गांव के चारों और दौड़तें हुऐ मेंरी घोड़ी मर गयी ऐसे में उसका मूल्य देना तो तुम्हारा कर्तव्य था ही।" सालभर व्यतीत होते ही ठाकूर ने अपने कर्मचारियों से "घुड़ पडी" लाग के 500 रूप्ये एकत्रित करने का आदेश दिया। भारी विरोध भी हुआ परन्तु आखिर घुडपडी एक लाग गांवा वालों पर लग ही गयी।

अन्य लागबाग

अखराई - राजकीय कोष में रकम जमा कराने पर रसीद दी जाती थी। उस रकम पर एक पैसा ली जाती थी।

कामला री ऊन - गडरियों से कम्बल बनाने की ली जाने वाली लाग इसके लिए उनसे कम्बल ही लिए जाते थे।

कासा - शादी या गर्मी में ठिकाने को रकम देनी पड़ती थी। इसके लिए जागीरदार के यहां कम से कम पच्चीस पत्तल भोजन भिजवाना पड़ता था।

कुता रो नजराणों - फसल का कुतां करते समय एक रूपया ली जाती थी।

खरगढ़ी - गढ़ की मरम्मत के लिए गधों का उपयोग होता था जिनमें लाद कर ईंट, रेत तथा चूना लाया जाता था पहले ये गधे बेगार में मगाये जाते थे परन्तु अब इनकी रकम तय कर दी गई।

खरड़ा - यह श्रमजीवी जातियों कुम्हार, छीपा तथा मोची आदि जातियों से वसूलि जाती थी जिसको राज्य के चैधरी के द्वारा वसूला जाता था।

खीचडी - जब सेना किसी गांव में पड़ाव डालती थी तो गांव वालों को सेना को बाजरे की खिचड़ी बनाकर देनी होती थी। परन्तु कालान्तर में इसे रकम के रूप में वसूला जाने लगा।

चापा रो परवानों - जंगलों में गाय, भैसों को चराने ले जाने हेतु राज्य से परवाना लेना पड़ता था जिसकी रकम देनी पड़ती थी।

चैधर लाग - गांवों में काश्तकारों से बिघोड़ी या हासल वसूल करने हैतु एक चैधरी की नियुक्ति करनी पड़ती थी इसके लिए उपज का चालीसवां हिस्सा लिया जाता थां।

जाजम रो रूपया - भूमि को क्रय विक्रय करने पर जाजम लाग देनी पड़ती थी।

जावणी रो घीरत - वर्षा ऋतु में जागीरदार काश्तकारों से दूध देने वाली गायों व भैसों का एक दिन का दूध दुहा कर घी लेता था।

झाल लाग - सरकारी कर्मचारियों के ऊँटों व घोडों के झालों के लिए झाल लाग ली जाती थी इसके रूपये देने पड़ते थे।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 3, March 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0703011 |

डाण - एक गांव से दूसरे गांव माल ले जाने के लिए दि जाने वाली लाग।

डोरी पूजन - प्रत्येक वर्ष कुतै के समय नपाई में डोरी काम ली जाती थी इसके लिए एक रूपया देना होता था।

थाणयत री लाग - किसी गांव में थानाधिकारी की नियुक्ति की जाने पर।

नया बारणा रों परवानों - पट्टे में लिखे दरवाजे के अलावा अन्य दरवाजा निकालने पर परवाना लेना पड़ता जिसके लिए रकम देनी पड़ती थी।

नाता रों परवाना - जिन जातियों में स्त्रियों में नाता प्रथा (पुनर्विवाह) थी उन्हें राज्य द्वारा परवाना दिया जाता था जिसकी रकम 'नाता सुकराना' सरकार में जमा होती थी।

न्यात चवरी - यह लड़की की शादी पर लगती थी।

नूता - जागीरदार अपने परिवार में मृत्यु या विवाह के अवसर पर गांव वालों को निमंत्रण भेजता था उसकी रकम वह नूता के नाम से वसूलता था।

बिन्दोले री लाग - जागीरदार के घर विवाह होने पर

बिन्द रो पगेलागणों - यह लड़के की शादी में ली जाती थी।

पावणा पवरा - जगीरदार अपने मेहमानों का खर्चा चलाने के लिए गांवों वालों से वसूलता था।

पाग रो नजराणों - जागीरदार के घर मृत्यु हो जाने पर गावों वालों से सामूहिक रूप से वसूला जाता था।

मालवा - मालगुजारी की लगभग पांच प्रतिशत काश्तकारों से वसूल कि जाती थी यह रकम सरकारी कर्मचारियों या ठिकाने के कर्मचारियों के दौरे के समय खर्च कि जाती थी। यह रकम धार्मिक कार्यों में भी खर्च कि जाती थी।

लिखाई लाग - काश्तकारों द्वारा भूमि अधिकारों के लिखवाने के लिए ली जाने वाली लाग।

सिंगोटी - यह मवेशी के विक्रय पर ली जाती थी।

हजूर फरमाईश - महाराजा या जागीरदार द्वारा आवश्यकतानुसार ऊन, मूंज व पाला चारा मगवा लिया जाता था।

हरिया रो ख्यारों - जागीरदार अपने पशुओं के लिए गांव वालों से उनके खेतों से हरा चारा रिजका गैहु तथा जौ, चना अदि मंगवाता था।

शोध पत्र का महत्व:

इस प्रकार लागबाग का बोझ गांव वालों पर इतना अधिक था की जनता इनकों चुकाते चुकाते कर्ज के जाल में फंस जाती थी। या बधुआ मजदूर बन कर रह जाती थी। इन्हे वसूल करने के तरिके भी बहुत निर्मम व क्रुर थे। अतः ग्रामीणों को भयपूर्वक इन्हे अदा करना ही पड़ता था। यहा तक जागीरदार अपने दुव्र्यसनों के लिए भी काश्तकारों से लाग वसूल लेते थे जैसे - पातर लाग- यह लाग जागीरदार वैश्याओं के खर्च के लिए वसूलते थे। भट्टी लाग- शराब के लिए वसूली जाती थी।

उर्पुक्त शोधपत्र में राजस्थान में भूमि पर किसानों की स्थिति एवं राजस्थान की ततकालीन मालगुजारी व्यवस्था के बारे में वर्तमान में इतिहास में रूचि रखने वालों की दृष्टि से उल्लेख किया जा रहा है तथा किस प्रकार मध्यकालीन राजपुताना में जनमानस का जागीरदारों द्वारा शोषण किया जाता था। इसमें राजस्थान में प्रचलित विभिन्न प्रकार की लागबागों पर चर्चा कि गई जिसका उदेश्य तत्कालीन समाज में होने वाले आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना है।

संदर्भ सूची -

1. विलियम फ्रेंकलीन, मिलीट्री मेमायर्स आॅफ मिस्टर जार्ज थाॅमस 1805, पृ.सं. 347
2. जेम्सटाॅड, एनाल्स एण्ड ऐण्टिक्विटिज आॅफ राजस्थान, भाग-1 1829
3. जगदीश सिंह गहलोत, राजस्थान का सामाजिक जीवन, पृ.सं.- 18, 99, 101, 106

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 3, March 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0703011 |

4. जगदीश सिंह गहलोत, पूर्व आधुनिक राजस्थान का इतिहास

5. नागरीक प्रचारिणी पत्रिका भाग-5 पृ.सं. 203

6. कनिघम आर्कलाॅजिकल सर्वे आॅफ इंडिया रिपोर्ट भाग 6

7. ऐपिग्राफिया इंडिका भाग 1 पृ.सं. 239।

Impact Factor
7.521

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com